# चिटफंड कम्पनी "उत्थान सिक्योरिटी एसएमसी ग्लोबल" का फरार संचालक गिरफ्तार

❒ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 3-5% मुनाफा का प्रलोभन देकर करता था धोखाधड़ी

❒ 8 शिकायतकर्ता के 2.40 लाख रुपये लेकर फरार होने की कोतवाली में है अपराध दर्ज

**रायगढ़।** पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस लगातार चिटफंड के लंबित मामलों के आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है। राज्य शासन के मंशा अनुरूप एसपी अभिषेक मीणा लंबित चिटफंड मामलों को सर्व प्राथमिकता पर रखा गया है जिस कारण एक के बाद एक प्रकरण के आरोपियों को दिगर राज्यों से गिरफ्तार कर अथवा विशेष न्यायालय से आरोपी का प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर जेल से लाया जा रहा है ताकि अपनी गाढी कमाई गंवा चुके निवेशकों के रकम वापसी की कार्रवाई चिटफंड कम्पनी के डायरेक्टर/शेयर होल्डर की सम्पत्ति सीज करके की जा सके इसलिए चिटफंड कम्पनी एवं कम्पनी से जुडे डायरेक्टर्स/शेयर होल्डर की गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है।

इस कड़ी में कोतवाली पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा "उत्थान सिक्योरिटी एसएमसी ग्लोबल" के फरार डायरेक्ट अशोक कुमार को प्रोडक्शन वारंट में केन्द्रीय जेल रांची (झारखंड) से लाया गया है। शातिर आरोपी रायगढ़ में नाम बदलकर चिटफंड कम्पनी के जरिए 3-5% का लाभ का प्रलोभन देकर अपने साथी चन्द्र कुमार चौहान के साथ शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी किया गया था। कम्पनी का एक डायरेक्टर चन्द्र कुमार चौहान को कोतवाली पुलिस पिछले साल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

फर्जीवाडे के संबंध में दिनांक 11.04.2016 को थाना कोतवाली रायगढ़ में ग्राम औरदा पुसौर के रहने वाले दुष्यंत कुमार सहिस (33 वर्ष) रिपोर्ट दर्ज कराया कि "उत्थान सिक्योरिटी एसएमसी ग्लोबल" के संचालक चंद्र कुमार चौहान निवासी बोड़ासागर जिला जांजगीर चांपा एवं अशोक जोशी निवासी मिट्ठूमुड़ा रायगढ़ के द्वारा वर्ष 2015-16 में सुभाषनगर रायगढ़ के फ्लैट नंबर 37 में कम्पनी का कार्यालय खोला गया था जिसमें शेयर ट्रेंडिंग का कार्य किया जा रहा था। कार्यालय में विभिन्न पदों पर स्टाफ नियुक्त किया गया जिसमें प्रार्थी दुष्यंत कुमार सहिस को ऑफिस मैनेजमेंट, गीता साव को एचआर, सपना साहू को टेलीकॉलर एवं ऑफिस मैनेजमेंट तथा द्वारिका पटेल को एजेंट नियुक्त किया था। चंद्र कुमार और अशोक जोशी शेयर ट्रेडिंग का कार्य करते थे उन्होंने सभी कर्मचारियों को रकम निवेश कराने का कार्य दिया गया था जिसमें वेतन एवं 5% प्रोत्साहन राशि देने का दावा किया गया जिसके आधार पर पहले दुष्यंत , गीता साव, द्वारिका ₹10000 - ₹10000 निवेश किए। उसके बाद दोनों संचालकों के द्वारा ग्राहकों से रूपये निवेश कराने का दबाव डाला गया कहा गया कि कम्पनी रकम को शेयर मार्केट में लगाने पर 3 से 5% मासिक ब्याज देगी जिस पर एजेंट लखपति साव से ₹50,000 महेश सोनवानी से ₹25,000 मंजू लता साहू से ₹50,000 धर्मेंद्र साहू से ₹10,000 शौकी लाल साहू से ₹75,000 कुल ₹2,40,000 जमा कराया गया जिसके बाद दोनों रुपए लौटाए बिना कार्यालय बंद कर कहीं फरार हो गये थे।

धोखाधड़ी के संबंध में थाना कोतवाली रायगढ़ में अपराध क्रमांक 203/2016 धारा 420, 34 भादवि एवं 6,10 छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोनों आरोपियों पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दरमियान दिनांक 03.06.2021 को आरोपी चंद्र कुमार चौहान पिता फूलचंद चौहान निवासी बोड़ासागर थाना डबरा जिला रायगढ़ जांजगीर चांपा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। आरोपी चंद्र कुमार चौहान के साथ कंपनी का संचालन कर रहा अशोक जोशी पिता नगीना जोशी फरार था जिसके पतासाजी दौरान परिजन से संपर्क कर पूछताछ करने में बताएं कि अशोक जोशी हितवार जेल रांची झारखंड में निरुद्ध है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर कोतवाली पुलिस की टीम होतवार जेल रांची झारखंड जाकर जेल अधीक्षक को प्रतिवेदन देकर आरोपी के संबंध में पूछताछ करने पर जेल अधीक्षक द्वारा अशोक कुमार जोशी का नाम का व्यक्ति निरुद्ध नहीं होना बताएं और फोटोयुक्त हिस्ट्री टिकट दिया गया। उक्त फोटो पूर्व में उत्थान सिक्योरिटी में कार्यरत स्टाफ सपना महंत एवं प्रार्थी दुष्यंत कुमार सहिस को व्हाट्सएप से भेज कर पहचान करने को कहने पर दोनों फोटो देखकर उत्थान सिक्योरिटी एसएमसी ग्लोबल के संचालक अशोक कुमार जोशी के रूप में पहचान किए जिसके बाद कोतवाली पुलिस आरोपी की पत्नी प्रिया जोशी से संपर्क की। प्रिया जोशी बताई कि उसके पति अशोक जोशी का सही नाम अशोक कुमार है वह अपना नाम एवं मूल स्थान का पता बदल कर धोखाधड़ी के उद्देश्य से कंपनी चला रहा था जिसका नाम अशोक कुमार पिता राम नगीना प्रसाद 30 साल मूल निवास कुशमाहा महुआ थाना रामकोला कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) बताई और कि अशोक बिरसामुंडा केंद्रीय जेल होतवार रांची में निरुद्ध होना बताई जिसके आधार पर पुनः कोतवाली रायगढ़ आरोपी अशोक कुमार की गिरफ्तारी की कार्यवाही के लिए विशेष न्यायाधीश महोदय (अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों के हितो का संरक्षण अधिनियम) रायगढ़ के न्यायालय से आरोपी को प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर आरोपी को रांची केंद्रीय जेल से लाया गया है। आरोपी से पूछताछ में दोनों आरोपी चंद्रकुमार चौहान एवं अशोक कुमार ही कंपनी का संचालन की जानकारी मिली है। आरोपी से उसके तथा कम्पनी के चल अचल संपत्ति की जानकारी एवं कंपनी द्वारा निवेश की जानकारी साथ ही जिलाधीश कार्यालय में कंपनी के विरुद्ध दिए गए आवेदन पत्रों की जानकारी ली जा रही है जिसके बाद सम्पत्ति सीज की कार्रवाई किया जावेगा।

आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी मनीष नागर के साथ उप निरीक्षक बी.एस. डहरिया, आरक्षक राकेश नायक, राजू भगत की अहम भूमिका रही है।

## महत्वपूर्ण एवं खास

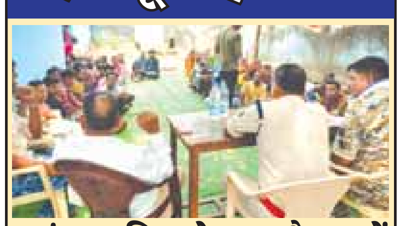

### सारंगढ़ पुलिस ने जन चौपाल में रहवासियों को दी मुसाफिर चेक के महत्व के बारे में जानकारी

**ग्राम रापागुला के जन चौपाल में सारंगढ़ पुलिस ने किया जटिल विवाद का समाधान**

**रायगढ़।** दिनांक 14 4 2022 को सारंगढ़ पुलिस द्वारा ग्राम रापागुल्ला में मुनादी कराकर जन चौपाल की जानकारी दी गई। ग्राम रापागुल्ला एवं आसपास क्षेत्र के काफी ग्रामीण "पुलिस जन चौपाल" में उपस्थित आये। चौपाल में ग्राम के 24 परिवार की एक समस्या सामने आया। परिवारजनों ने बताया कि लगभग 5 माह से ग्राम पंचायत उनका हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा जब पंचायत के प्रमुख लोगों से इस संबंध में चर्चा किया गया तो वे ऐसी कोई बात नहीं है, बताये। पुलिस अधिकारियों ने ग्रामवासियों को ऐसी समाजिक बहिष्कार को अवैधानिक बताते हुए उनके मध्य समझौता कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने जन चौपाल में विभिन्न अपराधों की जानकारी एवं उनके बचाव से रहवासियों को अवगत कराते हुए पुलिस द्वारा ग्राम में मुसाफिर चेक के महत्व को बताया गया कि किसी भी अंजान व्यक्ति के क्षेत्र में देखे जाने पर उसकी सूचना पुलिस थाना अथवा डायल 112 को देंवे। पुलिस अधिकारियों ने साइबर अपराधों, बाल अपराध, जुआ सट्टा, अवैध शराब पर कार्यवाही की महत्ता को विस्तार से समझाया गया।

### ट्रेलर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारा

**कोरबा।** दीपका थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रेलर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया। घटना में घायल बाइक सवार को कोरबा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिंझरा निवासी संतराम कंवर सुबह अपनी बाइक क्रमांक सीजी.12 एएच 6712 से दीपका से तिवरता की तरफ जा रहा था। तभी तिवरता पेट्रोल पंप के नजदीक पीछे से आ रहे ट्रेलर क्रमांक सीजी 12 एयू 7204 के चालक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दिया। घटना में संतराम गंभीर रूप से घायल हो गयाए जिसे दीपका सीएचसी लाया गयाए जहां मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने बिंझरा निवासी लखपत लाल कंवर की शिकायत पर ट्रेलर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

### छह हाथियों का झुंड नजर आया

**कोरबा।** वन मंडल कटघोरा के केंदई और पसान रेंज में हाथियों का अलग-अलग झुंड घूम रहा है। ग्रामीणों को जंगल नहीं जाने की हिदायत के बाद भी महुआ बीनने के लिए जा रहे हैं। गुरुवार सुबह सरमा, बनिया के ग्रामीण महुआ संग्रहण करने जंगल गए थे। इसी दौरान छह हाथियों का झुंड ग्रामीणों को नजर आया। आनन.फानन में ग्रामीण हाथी से बचने के लिए भागकर गांव पहुंचे। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने गांव में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया। हाथी अभी गांव के आसपास नहीं आ रहे हैं। अधिकांश समय डुबान के आसपास ही बिता रहे हैं। अभी जंगल में हाथियों के लिए भोजन और पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। पतझड़ के बाद हरे पत्ते निकल आए हैं।

### बलवा- पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की

**कोरबा।** तरबूज चोरी का झूठा इल्जाम लगाने की बात को लेकर ग्राम पोल्मी में 12 से अधिक लोगों ने मारपीट व बलवा की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पाली थाना क्षेत्र के ग्राम पोलमी निवासी शिवलाल यादव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वह खेती का काम करता है। उसने अपने खेत में तरबूज व धान की फसल लगाई है। वह भतीजे गजेंद्र, देवेंद्र, विरेंद्र, नरेंद्र व शिवचरण के साथ खेत में सोए हुए थे। उसी समय गांव का ही लवकेश, विकास, अमन, लक्ष्मीनारायण, अनुज यादव, रामप्रसाद, बलराम, चैतराम, सुशील, संतराम, सुमित, दुर्गा पहुंचे और तरबूज चोरी का झूठा इल्जाम लगाने की बात पर विवाद करने लगे। इसके बाद अपने साथ लेकर आए टांगी, डंडा से मारपीट करने लगे। घर के पास पहुंच गए और विवाद करते हुए दरवाजे को मारने लगे। इससे डरे सहमें परिवार के सदस्यों ने डायल 112 को घटना की सूचना दी गई। मारपीट में घायल लोगों का उपचार पाली सीएचसी में कराया गया।

## महेन्द्रा बस में रांची से अफीम लेकर आ रहा बस परिचालक रायगढ़ में गिरफ्तार

❒ आरोपी से 75000 रुपए कीमती 750 ग्राम अफीम जब्त, जूटमिल टीआई ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई

**रायगढ़।** पुलिस अधीक्षक रायगढ़ अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी लखन पटले एवं सीएसपी योगेश कुमार पटेल के मार्गदर्शन पर जूटमिल पुलिस द्वारा महेन्द्रा बस में रांची से चोरी छिपे अफीम ला रहे आरोपी को जूटमिल चौकी के सामने नाकेबंदी पाइंट लगाकर पकड़ा गया है। आरोपी से करीब 750 ग्राम अफीम कीमती 75,000 रूपये का जप्त किया गया है। आरोपी पर एनडीपीएस की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 13-14.04.2022 की रात्रि गस्त दौरान चौकी प्रभारी जूटमिल निरीक्षक उत्तम साहू को उनके सक्रिय मुखबिर से सूचना मिला कि रांची से रायपुर तक चलने वाली महेन्द्र बस क्रमाक सीजी 04 एन.ए. 7915 का परिचालक मादक पदार्थ अफीम लेकर रांची से निकला है। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कर गस्त कर रहे चौकी स्टाफ को महेन्द्र बस के रूट पर नाकेबंदी लगाने का पाइंट दिया गया एवं चौकी प्रभारी बस के इंतराह में थे कि बस के चौकी के समीप से गुजरने की सूचना पर चौकी प्रभारी के नेतृत्व वाली एक टीम द्वारा चौकी के सामने मेन रोड़ पर रायपुर जा रही महेन्द्रा बस क्रमाक सीजी 04 एन.ए.-7915 को रायगढ शहर के तरफ से आते देख रोककर वाहन के परिचालक संगम शुक्ला को तलब कर मुखबिर सुचना की जानकारी दिया गया और उसके तथा बस की तलाशी लिया गया। बस की तलाशी दौरान परिचालक सीट के नीचे दो अलग- अलग पैकेट जिसमे से एक पैकेट छोटा दुसरा थोड़ा बडा रखा हुआ था जिसकी पहचान पर मादक पदार्थ अफीम होना पाया गया जिसका वजन कराने पर दोनों पैकेट में 750 ग्राम अफीम कीमत करीब 75,000 रूपये का पाया गया। बस चालक एवं यात्रा कर रहे यात्रियों तक को परिचालक के अफीम लाने की जानकारी नहीं थी। अफीम तस्करी कर रहे आरोपी संगम शुक्ला पिता स्व. दयाल शुक्ला उम्र 47 वर्ष निवासी हटवा थाना शाहपुर जिला रीवा (MP) हाल मुकाम कालीनगर पंडरी रायपुर पर चौकी जूटमिल थाना कोतवाली में धारा 18(B) NDPS ACT की कार्रवाई कर आरोपी को विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के कोर्ट रिमांड पर भेजा गया है। चौकी प्रभारी टीआई उत्तम साहू के साथ कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक विजय गोपाल, प्रधान आरक्षक मो. दिलदार कुरैशी, आरक्षक हेमंत चन्द्रा, संजय तिर्की व स्टाफ की अहम भूमिका रही है।

## प्रेमी जोड़े पर धारदार हथियार से वार,प्रेमी की मौत, प्रेमिका गंभीर

**बालोद (आरएनएस)।** छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्राम सकरौद से सनसनी खेज वारदात सामने आयी है, जहां किसी अज्ञात आरोपी द्वारा प्रेमी जोड़े पर धारदार हथियार से वार किया गया है। जिससे प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई। वही प्रेमिका की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला रनचिरई थाना क्षेत्र का है।

मिली जानकारी के अनुसार बालोद जिले के ग्राम सकरौद निवासी मुरली सिन्हा का प्रेमप्रसंग गांव की ही विवाहित महिला तारनी गेंडरे के साथ चल रहा था। बीती रात किसी अज्ञात आरोपी द्वारा प्रेमी जोड़े पर बड़ी बेरहमी के साथ धारदार हथियार से वार किया गया जिससे मौके पर ही प्रेमी की मौत हो गई। वही प्रेमिका को गंभीर हालत में उपचार के लिए राजनांदगांव जिला अस्पताल में किया गया है। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि प्रेमी जोड़े की हत्या की कोशिश महिला के पति ने ही की होगी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पुहंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।

## सिक्युरिटी एजेंसी में पार्टनर बनाने का झांसा देकर 40 लाख रूपये की ठगी करने वाला ठग गिरफ्तार

❒ कोतवाली पुलिस की टीम ने आरोपी को भोपाल से किया गिरफ्तार

**रायगढ़।** चार दिन पहले थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ में दिनांक 11.04.2022 को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिलूपारा तमनार के सुरक्षा प्रबंधक हुकम गिरी गोस्वामी द्वारा अनावेदक हरजीत सिंह सेठी निवासी होशंगाबाद (MP) के विरूद्ध नयी सिक्यूरिटी एजेंसी मे हिस्सेदार(Partner) बनाने का झांसा देकर 40 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में आवेदन दिया गया है। आवेदन पर अनावेदक हरजीत सिंह सेठी पर धारा 406, 420 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर द्वारा इस ठगी की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दिये जाने पर पुलिस अधीक्षक मीणा डायरी लेकर

टीआई नागर को आफिस बुला गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा डायरी का समीक्षा कर थाना प्रभारी को आरोपी के बैंक डिटेल निकलवाने एवं सारे सबूत जुटाकर शीघ्र एक टीम मध्य प्रदेश रवाना करने का निर्देश दिया गया।

टीआई कोतवाली मनीष नागर द्वारा आरोपी हरजीत सिंह सेठी के बैंक अकाउंट की जानकारी प्राप्त करने पर आरोपी द्वारा 40,00,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी व अमानत में खयानत करना पाया गया जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी की पतासाजी अनुसंधान के सिलसिले में उप निरीक्षक नंदलाल पैंकरा के हमराह एक टीम मध्य प्रदेश रवाना किया गया। जहां आरोपी की पतासाजी कर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने शिकायतकर्ता/प्रार्थी से हुकम गिरी गोस्वामी से 40 लाख रूपये लेना स्वीकार किया किन्तु अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा था जिसे दूसरे दिन पुलिस टीम द्वारा उसके कार्यालय के पते भोपाल में गिरफ्तार कर स्थानीय JMFC न्यायालय भोपाल(MP) को आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना देकर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर रायगढ़ लाया गया है। आरोपी हरजीत सिंह सेठी पिता दर्शन सिंह सेठी उम्र 58 वर्ष निवासी बी 141 निरुपम रॉयल पंप जटखेड़ी होशंगाबाद रोड भोपाल मध्य प्रदेश को आज थाना कोतवाली के अप.क्र. 642/2022 धारा 406, 420 IPC में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में टीआई मनीष नागर, एसआई नंदलाल पैंकरा, हेड कांस्टेबल नंद कुमार सारथी, श्याम देव साहू का सराहनीय भूमिका रही है।

## कंचनपुर बेरियर पर सरिया थाना प्रभारी के हाथ आया नागपुर का गांजा तस्कर

❒ पीठू बैग में गांजा रखकर बेरियर पार करने के फिराक में था आरोपी, 4 किलो गांजा जब्त

**रायगढ़।** दिनांक 14.04.2022 के दोपहर थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल द्वारा मोटर वाहन चेकिंग कार्यवाही दौरान मुखबिर सूचना पर ग्राम कंचनपुर बेरियर पर गांजा तस्करी में लगे एक आरोपी को पकड़ा गया है।

थाना प्रभारी सरिया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पीठू बैग में गांजा लेकर ओडिसा से निकला है जिसके सरिया की ओर से जाने की सम्भावना है। मुखबिर सूचना पर थाना प्रभारी कमल किशोर पटेल द्वारा अपने स्टाफ को विभिन्न पॉइंट पर नाकेबंदी कर अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया और स्वयं वाहन चेकिंग दौरान प्रत्येक आने जाने वालों का जांच कर आगे जाने दिया जा रहा था तभी एक व्यक्ति काले रंग का पीठू बैग पीठ पर लटकाये आते देख उसे रोका गया जिससे पूछताछ में अपना नाम शेख ईरसाद पिता शेख मोहम्मद उम्र 60 वर्ष साकिन नागपुर इसो दरहा नगर थाना इसो दहरा पुलिस स्टेशन के सामने जिला नागपुर (महाराष्ट्र) का बताया। उसके तथा उसके बैग की विधिवत तलाशी लेने पर आरोपी शेख ईरसाद के पास बैग में 04 पैकेट मादक पदार्थ गाजा वजन 04 किलो गांजा कीमती 20,000 रुपये का मिला। आरोपी गांजा को नागपुर ले जाना बताया। आरोपी से मादक पदार्थ गांजा की जप्ती कर आरोपी पर 20(B) NDPS Act की कार्रवाई कर रिमांड पर भेजा गया है। कार्रवाई में एसआई के.के. पटेल, हेड कांस्टेबल अर्जुन पटेल, कांस्टेबल टीकाराम पटेल महिला आरक्षक लता जांगडे की अहम भूमिका रही है।

## घरघोड़ा क्षेत्र की नाबालिग बालिका को मेला दिखाने के बहाने कोरबा भगा ले जाने वाला आरोपी युवक गिरफ्तार

❒ घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी को अपहरण, दुष्कर्म सहित पोक्सो एक्ट में भेजा जेल

**रायगढ़।** एसपी अभिषेक मीणा द्वारा गुम नाबालिगों की पतासाजी के लिये चलाये जा रहे "ऑपरेशन मुस्कान" की स्वयं मॉनिटरिंग करने पर कई थानों में पुराने लंबित मामलों का निकाल किया जा चुका है। वहीं थाना घरघोड़ा में गुम नाबालिग से संबंधित पुराना एक ही मामला लंबित है। शेष सभी 363 IPC के दर्ज मामलों के गुम नाबालिगों को घरघोड़ा पुलिस खोज निकाली है। गत दिनों घरघोड़ा पुलिस गुम नाबालिगों की पतासाजी में दिल्ली और कोरबा रवाना हुई थी दोनों ही मामलों में पुलिस के हाथ सफलता आई है।

दिनांक 15.04.2022 को घरघोड़ा पुलिस अप.क्र. 113/2022 धारा 363 IPC में गम नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। जानकारी के अनुसार दिनांक 12.04.2022 को बालिका की मां थाना घरघोड़ा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिक लडकी उम्र 15 वर्ष, दिनांक 11.04.2022 के सुबह 05.00 बजे घर से निकली है जो वापस नहीं आई जिसे आसपास रिश्तेदारी में काफी पता तालाश की नहीं मिली। महिला उसकी नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर कहीं भगा ले जाना आशंका व्यक्त की थी। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अप.क्र. 113/2022 धारा 363 भा.द.वि. कायम कर थाना प्रभारी घरघोड़ा द्वारा उच्चाधिकारियों को अपराध की सूचना दी गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा व एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा तत्काल नाबालिक अपहृता की पतासाजी के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश व मार्गदर्शन टीआई घरघोड़ा अमित सिंह को दिया गया। जिनके द्वारा पुलिस टीम तैयार कर तत्काल अपहृता की पतासाजी में लगाया गया। पता तालाश दौरान अपहृता का कोरबा क्षेत्र में रहना पता चलने पर तत्काल टीम कोरबा रवाना किया गया। जहां घरघोड़ा पुलिस टीम को खोजबिन की भनक लगने पर आरोपी युवक बालिका को अन्यत्र लेकर भाग गया। पुलिस टीम संदेही युवक एवं अपहृता की पतासाजी में लगी रही जिनके अथक प्रयास बाद अपहृता व संदेही युवक को दिनांक 14.04.2022 को बी.टी. आई. चौक पत्थलगांव में पकड़ा गया। अपहृता एवं आरोपी को थाना लाया गया, जहां अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जो अपने कथन में बताई कि दिनांक 11.04.2022 को आरोपी प्रकाश झरिया इसे मेला देखने साथ में चलने को कहने पर अकेले जाने मना की पर आरोपी जबरन उसे मोटर सायकल में बैठाकर धरमजयगढ़ ले गया, जहां से बहला फुसलाकर कोरबा ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पुलिस टीम के कोरबा आ जाने की भनक पर आरोपी एवं बालिका लुथरा सरीफ, बलौदा जिला जांजगीर ले गया। जहां पुलिस टीम एवं बालिका के परिजनों दोनों को साथ देख लिये। आरोपी मोटर सायकल में बालिका (अपहृता) को बैठा कर मैनपाट पत्थलगांव तरफ ले रहा था जिसे घरघोड़ा पुलिस द्वारा बी.टी.आई. चौक पत्थलगांव में पकडा गया। पीड़िता/अपहृता को बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। पीड़िता के कथन उपरांत आरोपी प्रकाश झरिया पिता विजय झरिया उम्र 23 वर्ष . थाना घरघोड़ा से बारिकी से पूछताछ करने पर अपराध घटित करना स्वीकार किया जाकर घटना में प्रयुक्त एक मोटर सायकल क्र. सीजी-13-ए.पी.-9033 को जप्त किया गया तथा आरोपी को धारा 363 + 366,376 भा.द.वि. एवं 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत् विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अपहृता एवं आरोपी को पुलिस टीम द्वारा महज 48 घंटे के भीतर बालिका को बरामद कर आरोपी की गिरफ्तारी की कार्यवाही किया गया।

संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक अमित सिंह, सउनि चंदनसिंह नेताम, प्र. आर. डोलनारायण साव, आर. नंदु पैंकरा, नरेन्द्र पैंकरा, बीरबल भगत, म.आर. गायत्री यादव की विशेष भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480